

# न्यूज़ टुडे

## संसद द्वारा श्रम संहिता से संबंधित 3 विधेयक पारित किए गए

- संसद द्वारा पारित किए गए 3 विधेयक हैं— औद्योगिक संबंध संहिता 2020, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।  
 ➤ 29 श्रम कानूनों को सरलीकृत, समझने में आसान और पारदर्शी 4 श्रम संहिताओं में समाविष्ट किया गया है। 4 श्रम संहिताओं में से वेतन संहिता को संसद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है।

श्रम संहिता	व्या समाविष्ट किया गया है	नई श्रम संहिताओं की विशेषताएं
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता (Labour Code on Social Security & Welfare)	○ कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, मानवत लाभ अधिनियम, 1961 या (प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961) आदि जैसे 9 श्रम अधिनियमों को समाविष्ट करती है।	○ असंगठित क्षेत्र के कामगारों, गिर (अनुबंध आधारित) कामगारों और एलेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी। ○ उपर्युक्त कामगारों के लिए ही राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। ○ कुछ पदों की परिभाषा में विसरार किया गया है जैसे कि ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को शामिल करने हेतु 'कर्मचारियों को विस्तारित किया गया है, अंतर्राजीय प्रवासी कामगार की परिभाषा में वर्धन हेतु दूसरे राज्य के स्व-नियोजित कामगारों को समाविष्ट किया गया है आदि। ○ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस निर्मित किया जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की लक्षित आपूर्ति में सहायता प्रदान करेगा। ○ विधेयक में नए खंड अंतर्विष्ट किए गए हैं, जैसे भविष्य निधि (PF) के लिए नियोजिता/कर्मचारी के योगदान में कमी लाना आदि, जैसे एक महामारी के दौरान लागू किया जा सकता है।
उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता (Labour Code on Occupational Safety, Health & Working Conditions)	○ कारखाना अधिनियम—1948, बागान श्रम अधिनियम—1951, खन अधिनियम—1952 आदि जैसे 13 श्रम कानूनों को समाविष्ट करती है।	○ संहिता, केंद्र और राज्य सरकारों को संहिता के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले मानकों, नियमों एवं विनियमों के संबंध में परामर्श प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यावसायिक सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने का उपबंध करती है। ○ विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं, कार्य दशाएं और कार्य के घंटे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे। ○ महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी ○ नियोजित द्वारा उन कर्मचारियों के लिए वर्ष में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित की जाएगी, जो एक निश्चित आयु से अधिक आयु के हैं।
औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता (Labour Code on Industrial Relations)	○ यह वस्तुतः 3 श्रम कानूनों यथा व्यापार संघ अधिनियम, 1926; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को समावेलित करती है।	○ कम से कम 300 श्रमिकों (पहले 100) वाले एक प्रतिष्ठान को बंद करने या छंटनी करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। ○ यदि किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों के एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन हैं, तो 51% से अधिक श्रमिक—सदस्यों वाले ट्रेड यूनियन को एकमात्र वैध यूनियन के रूप में मान्यता दी जाएगी। ○ किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी, छंटनी या अन्यथा किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में कोई विवाद औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आएगा। श्रमिक, विवाद के न्यायानिर्णयन अथवा निपटान के लिए औद्योगिक अधिकरण में आवेदन कर सकता है। ○ नौकरी से निकाले गए कर्मियों के पुनः कौशल विकास हेतु एक रिस्कलिंग फंड का प्रावधान किया गया है।

## G-20 की बैठक में भारत ने 'डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट' (Data Free Flow with Trust-DFFT) को अस्वीकार किया

- "डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट" ओसाका ट्रैक की प्रमुख अंतर्निहित अवधारणा है।
- ओसाका ट्रैक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे द्वारा आरंभ की गई एक पहल है, जो डेटा स्थानीयकरण (data localisation) पर आरोपित प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करती है तथा डेटा प्रवाह, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि पर नियमों के निर्धारण के लिए राष्ट्रों से परस्पर विचार-विमर्श करने का आग्रह करती है।
- अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने इसका समर्थन किया है।
- DFFT की आवश्यकता क्यों है?
  - डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवसरों का दोहन करने।
  - संपूर्ण सामाजिक और कल्याण आधारित प्रणालियों का अनुकूलन करने।
    - ❖ सरकारी संस्थाओं के मध्य डेटा के पुनरुपयोग और साझाकरण से वृद्धिजनकों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
  - विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए डेटा तक कुशल एवं स्वतंत्र पहुँच आवश्यक है।
- भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे:
  - DFFT को न तो भलिभाति समझा गया है और न ही इसे कई देशों के कानूनों में व्यापक स्थान प्राप्त है।
    - ❖ भारत अभी भी अपने डेटा संरक्षण और ई-कॉर्मस कानूनों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के चरण में है।
  - डिजिटल व्यापार से लाभान्वित होने के लिए विकासशील देशों के भीतर एवं उनके मध्य डिजिटल डिवाइड (विवेद) एक गंभीर बाधा है।
  - डेटा से संबंधित चर्चा और वार्ता विश्व व्यापार संगठन को संदर्भित करते हुए आयोजित की जानी चाहिए।

## सरकार ने हाइड्रोजेन ऊर्जा विकास लक्ष्यों (hydrogen energy development targets) के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया है

- हाइड्रोजेन मिशन के एक भाग के रूप में यह समिति पैमाना निर्धारित करने, विनियमों को संबोधित करने, प्रदर्शनों (demonstrations) का समर्थन करने तथा अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होगी।
  - वर्तमान में वर्ष 2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने की योजना में हाइड्रोजेन शामिल नहीं है।
- हाइड्रोजेन सबसे स्वच्छ ईंधनों में से एक है, जिसके वायु की उपस्थिति में दहन पर उप-उत्पाद के रूप में केवल जल शेष रह जाता है और इससे कोई कार्बन-आधारित उत्पादन भी नहीं होता है। इसके संभावित अनुप्रयोगों में शामिल हैं:
  - परिवहन अनुप्रयोग, जिसमें बसें, ट्रक, यात्री वाहन और ट्रेनें शामिल हैं।
  - रिशर विद्युत अनुप्रयोगों में बैकअप विद्युत इकाइयाँ, ग्रिड प्रबंधन, दूरस्थ स्थानों के लिए विद्युत, कर्कों और शहरों के लिए स्वचलित (stand-alone) विद्युत संयंत्र आदि शामिल हैं।
  - ईंधन सेल (fuel cell) के लिए सुवाहाय (पोर्टेबल) अनुप्रयोगों में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यावसायिक मशीनरी और मनोरंजन संबंधी उपकरण शामिल हैं।
- हाइड्रोजेन को ग्रे (जीवाशम ईंधन से उत्पादित), ब्लू (कार्बन अभिग्रहण और भंडारण के साथ जीवाशम ईंधन से उत्पादित) या ग्रीन (नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित) में विभाजित किया जा सकता है।
- चुनौतियाँ: उच्च उत्पादन लागत, भंडारण में कठिनाई, हाइड्रोजेन का अत्यधिक ज्वलनशील होना, मांग का कम होना आदि से उत्पादन क्षमता का विकास बाधित होता है।
- भारत में उठाए गए कदम: राष्ट्रीय हाइड्रोजेन ऊर्जा रोडमैप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लेह में हाइड्रोजेन ईंधन सेल आधारित बस परियोजना आरंभ करना आदि।

## भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई/TRAI) ने नेट नियोजन (नेट न्यूट्रॉलिटी) की नियरानी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं (Traffic Management Practices-TMP) और बहु हितधारक निकाय (multi-stakeholder body-MSB) पर अनुशंसाएं प्रदान की हैं

- TRAI ने यह नियरानी करने के लिए कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स नेट नियोजन के नियमों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं (TMPs) और बहु हितधारक निकाय (MSB) पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं।
- > नेट नियोजन सिद्धांत इंटरनेट सामग्री (content) के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार या हस्तक्षेप को प्रतिवंशित करता है, जिसमें किसी भी इंटरनेट सामग्री (content) को अवरुद्ध करने, धीमा करने या किसी सामग्री को विशेष अधिमान्य गति उपलब्ध कराने या उसके साथ विशिष्ट व्यवहार करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं।
- > यह सभी के लिए समानता का व्यवहार सुनिश्चित करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंद की वेबसाइटों से कनेक्ट हो सकते हैं।
- ट्राई की अनुशंसाएं:
- > तार्किक और आवश्यक ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं (TMPs) के संग्रह के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसे इंटरनेट एक्सेस सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अपना सकते हैं।
- > दूरसंचार विभाग (DoT) बहु-हितधारक निकाय (MSB) की स्थापना कर सकता है, जो दूरसंचार विभाग को उचित TMP कोष के अनुरक्षण में सहायता प्रदान करेगा, नेट नियोजन के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करेगा और इंटरनेट सेवाओं की नियरानी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- ❖ MSB में दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, शैक्षणिक और तकनीकी समुदाय, नागरिक समाज संगठन एवं सरकार जैसे हितधारक होने चाहिए तथा उन्हें गैर-लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- विगत कुछ समय से इंटरनेट तक पहुंच को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन सामग्री के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार की संभावना को लेकर वैधिक स्तर पर व्यापक चिंताएं प्रकट हुई हैं।

## अन्य सुर्खियाँ

<p><b>भारत और चीन के मध्य सैन्य कमांडर-स्तरीय बैठक का 6वाँ दौर आयोजित हुआ (6th round of Military Commander-Level Meeting held between India and China)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ दोनों देशों के मध्य मई में सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने के उपरांत से इस विवाद के समाधान हेतु सैन्य स्तर पर वार्ताएं आयोजित की गई थीं, परन्तु यह प्रथम बार है, जब भारत और चीन ने संयुक्त रूप से एक वक्तव्य जारी किया है।</li> <li>○ समझौते के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: सीमा पर अधिक सैनिकों की तैनाती को रोकना, जगीनी संचार को सुदृढ़ करना, एकत्रफ़ा रूप से सीमा पर यथास्थिति परिवर्तित करने से बचना आदि।</li> </ul>
<p><b>चावल में पोटेशियम की कमी को लक्षित किया गया</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ एक नए अध्ययन के अनुसार, एक विशिष्ट पादप हार्मोन (जिसे जैस्मोनेट कहा जाता है) को लक्षित करने से चावल के पौधों को पोटेशियम की कमी के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया जा सकता है, जिससे चावल की उत्पादकता में सुधार होगा।</li> <li>&gt; पोटेशियम पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूखा पोषक तत्वों में से एक है। पोटेशियम की कमी वाले पौधे लवण, सूखा, द्रुतशीतल और अन्य स्थितियों के प्रति सुभेद्य होते हैं।</li> <li>○ जैस्मोनेट, जैविक कारकों जैसे कीटों, परोपजीवियों और अन्य रोगजनकों से पौधे की रक्षा से संबंधित है।</li> </ul>
<p><b>अभ्यास (ABHYAS) का सफल उड़ान परीक्षण (Successful Flight Test of ABHYAS)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपैडेल एरियल टारगेट (HEAT) है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) द्वारा अभिकलित एवं विकसित किया गया है।</li> <li>○ यह एक मानव रहित विमान है, जो माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स (MEMS) नेविगेशन प्रणाली पर आधारित है।</li> <li>○ यह अपने नेविगेशन (मार्गदर्शन) के लिए स्वदेशी रूप से विकसित MEMS—आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करता है।</li> </ul>
<p><b>पॉवरटेक्स इंडिया (PowerTex India)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह पावरलूम (विद्युत्करघा) क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना (वस्त्र-मंत्रालय के अंतर्गत) है।</li> <li>○ योजना के विभिन्न घटक हैं जैसे— प्लेन पावरलूम का स्वस्थाने उन्नयन, ग्रुप वर्कशेड योजना, यार्न बैंक योजना, पावरलूम सेवा केंद्रों को सहायता अनुदान और उनका आधुनिकीकरण / उन्नयन, सौर ऊर्जा योजना आदि।</li> </ul>
<p><b>संसद द्वारा विश्वविद्यालयों से संबंधित तीन विधेयक पारित किए गए (Three University Related Bills Cleared by Parliament)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 (National Forensic Sciences University Bill 2020) <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; इस विधेयक के माध्यम से गुजरात न्याय सहायक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अधीन स्थापित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधी नगर और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा।</li> <li>&gt; उद्देश्य: न्यायालयिक विज्ञान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।</li> </ul> </li> <li>○ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 (Rashtriya Raksha University Bill 2020): <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; यह रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात के रूप में स्थापित करता है।</li> <li>&gt; उद्देश्य: तटीय पुलिसिंग और साइबर सुरक्षा सहित पुलिस विज्ञान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।</li> </ul> </li> <li>○ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 (Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020): <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत स्थापित पांच IIITs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है।</li> <li>&gt; वे अब छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकते हैं।</li> <li>&gt; ये विधेयक इन विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करते हैं।</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप (MANF) योजना (Maulana Azad National Fellowship (MANF) scheme)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ इस योजना के अंतर्गत बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख, इन छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को एम.फिल और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में पांच वर्षों की फैलोशिप प्रदान की जाती है।</li> <li>○ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के माध्यम से MANF को लागू करता है।</li> <li>○ वर्ष 2019–20 के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित JRF-NET (जूनियर रिसर्च फैलो—नेशनल एलिजिजिलिटी टेस्ट) परीक्षा के माध्यम से किया गया है।</li> <li>&gt; वर्ष 2019–20 से पूर्व उम्मीदवारों द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी।</li> </ul>

8468022022, 9019066066  
www.visionias.in

